एक नजर में

नेशनल लोक अदालत में सुलह पर चली बात

मंडलेश्वर, निप्र। वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ प्रधान जिला न्यायाधीश अखिलेश जोशी ने जिला कोर्ट मंडलेश्वर में माँ सरस्वती का पूजन और दीप प्रज्वलित कर किया।इस अवसर पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री पंकज सिंह माहेश्वरी, नेशनल लोक अदालत के संयोजक और जिला न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह, जिला न्यायाधीश रवि झारोला जिला न्यायाधीश राजकुमार चौहान, जिला न्यायाधीश दीपक चौधरी, सचिव एवं वरिष्ठ न्यायाधीश सुश्री प्रीति जैन,वरिष्ठ खंड न्यायाधीश मोहित बड़के, न्यायाधीश सुश्री प्रीतिबाला प्रशिक्षु न्यायाधीश सुश्री मुस्कान मंसूरी जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई,जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय जोशी, पूर्व अध्यक्ष कार्तिक जोशी, सचिव पुष्पेन्द्र गंगारेकर, एडवोकेट अजय वर्मा ठाकुर, डिप्टी चीफ रुपेश शर्मा, असिस्टेंट निशा कौशल नाजीर संतोष बैस सहित पी एल वी अधिवक्ता न्यायिक कर्मचारी और पक्षकार उपस्थित रहे।

बड़वाह के अमितेष शुक्ला ने एमबीबीएस में गोल्ड मेडल हासिल कर बढ़ाया क्षेत्र का मान

बड़वाह, निप्र। नगर के लिए गौरव और खुशी का विषय है कि आदर्श कॉलोनी निवासी डॉ. अमितेष शुक्ला ने एमबीबीएस की पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।उनकी इस उपलब्धि से पूरे बड़वाह क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। डॉ. अमितेष शुक्ला ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों तथा द पैलेडियम स्कूल एवं द पलेडियन हाउस बड़वाह के डायरेक्टर मुकेश गुप्ता के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने कठिन परिश्रम, अनुशासन और निरंतर प्रयासों के बल पर यह मुकाम हासिल किया। अमितेष के पिता अजय शुक्ला एवं परिवारजनों ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल उनके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे बड़वाह क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। द पलेडियन हाउस बड़वाह की एक और प्रतिभा द्वारा सफलता के नए शिखर पर पहुंचने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी। नगर के गणमान्य नागरिकों, मित्रों एवं शुभचिंतकों ने डॉ. अमितेष शुक्ला, उनके परिवार तथा संस्थान को शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की हैं।

दूर रह रहे पति-पत्नी ने नेशनल लोक अदालत में सुलह कर एक साथ रहना किया स्वीकार

मंडलेश्वर, निप्र। विगत एक साल से दूर रह रहे पति-पत्नी ने नेशनल लोक अदालत में सुलह कर एक साथ रहना स्वीकार किया। मामला कुटुंब न्यायालय मंडलेश्वर का हैं जहाँ महेश्वर तहसील के ग्राम मातमूर निवासी रवि सोलंकी (33 वर्ष)ने दाम्पत्य जीवन की पुर्नस्थापना हेतु वाद दायर किया था।रवि सोलंकी का विवाह सन 2020 में ग्राम खांगवाडा तहसील बड़वाह की रुखमणी के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ था जिससे उन्हें दो पुत्र गीतांशु(05वर्ष) और मातांशु (04 वर्ष)हैं विवाद 21 अक्टूबर 25 कों हुआ जब रुखमणी ने शाम को पति के साथ बाजार खरीददारी करने की बात पर सास से विवाद किया दूसरे दिन जब शाम को पति घर आया तो रुखमणी अपने कपड़े बेग में भरकर तैयार थी उसने पति से बस में बिठाने के लिए कहा तब ससुर ने बहू कों महेश्वर से बस में बिठा दिया और वह अपने मायके दो बच्चो के साथ आ गई। जब रवि कुछ दिन बाद अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया तो पत्नि रुखमणी ने कहा की अपने माँ बाप से अलग रहो तो ही मै आउंगी।रवि ने 19 नंबर 25 को मामला परिवार परामर्श केंद्र महिला सभा खरगोन में लगाया जहाँ समझाने के बाद भी रुखमणी नहीं मानी तो हारकर परेशान पति ने दाम्पत्य की पुर्नस्थापन के लिए कुटुंब न्यायालय मंडलेश्वर में वाद दायर किया।नेशनल लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश श्री पंकज सिंह माहेश्वरी अधिवक्ता के सी तोनगर की समझाईश के बाद रवि और रुखमणी ने साथ साथ रहना स्वीकार किया। नेशनल लोक अदालत में हुए इस समझौते के बाद दोनों पति पत्नी ने प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अखिलेश जोशी कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री पंकज सिंह माहेश्वरी,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं वरिष्ठ खंड न्यायाधीश सुश्री प्रीति जैन के समक्ष एक दुसरे को वर माला पहनाकर फिर से साथ रहना स्वीकार किया इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश ने दम्पति को शुभकामनाएं देते हुए दो फलदार पौधे भेंट करते हुआ कहा की दो पौधे तुम्हारे हैं दो पौधे हम दे रहे हैं तुम दोनों इन चारो पौधों की अच्छी देखभाल करना।

जिला अस्पताल का एनएचएसआरसी नई दिल्ली की टीम ने किया तीन दिवसीय निरीक्षण

खरगोन, निप्र। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम (एनक्यूएएस) के अंतर्गत एनएचएसआरसी, नई दिल्ली द्वारा जिला चिकित्सालय खरगोन का राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय खरगोन को चिन्हित किए जाने के पश्चात तीन सदस्यीय राष्ट्रीय मूल्यांकन दल द्वारा 07 से 09 मई 2026 तक विस्तृत असेसमेंट किया गया। मूल्यांकन के दौरान टीम द्वारा जिला चिकित्सालय के कुल 17 विभागों का गहन निरीक्षण, भौतिक सत्यापन एवं रिकॉर्ड परीक्षण किया गया। इस दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं सफाई कर्मियों से विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की गई, जिसमें मुख्य रूप से मरीजों को दी जा रही सेवाओं से संबंधित प्रश्न शामिल थे। टीम ने अलग-अलग समय पर अस्पताल का भ्रमण कर एनक्यूएएस मानकों के आधार पर निरीक्षण किया। राष्ट्रीय मूल्यांकन दल में डॉ. गोपाल एस कम (महाराष्ट्र), डॉ. अंजना सदन (नई दिल्ली) एवं श्रीमती सुनीता दुहान (हरियाणा) शामिल रहीं। असेसमेंट के दौरान इमरजेंसी विभाग, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, किचन, एमसीएच, शिशु वार्ड, शिशु ओपीडी, जनरल वार्ड, लेबर रूम सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा जिला चिकित्सालय में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं एवं केयर क्वालिटी का अवलोकन किया गया, जिसमें कुल मिलाकर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही कुछ सुधारात्मक कार्यों के भी निर्देश दिए गए, जिनमें मुख्य रूप से पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ करना, शिशु वार्ड में ओपीडी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, शिशु वार्ड को डीईआईसी (डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर) में स्थानांतरित करना, भीड़ प्रबंधन तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक सुधार शामिल हैं। असेसमेंट के दौरान सिविल सर्जन डॉ. राजकुमारी देवड़ा, आईएमओ डॉ. कुंदन सिसोदिया, सहायक प्रबंधक अजमेर सिंह ओरिया, नर्सिंग स्टाफ सहित राज्य स्तर से आए श्री भारत बिलवाल, सुश्री सनीका भंडारे, सुश्री प्रिया सिंह बघेल एवं जिला स्तरीय टीम के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

बड़वाह के जंगल में अवैध शराब फैक्ट्री

आबकारी विभाग की दबिश, 6 .77 लाख का कच्चा माल किया नष्ट

नवभारत न्यूज

बड़वाह, निप्र। आबकारी विभाग की संयक्त टीम ने शानिवार को बड़वाह के दूर्गम वन क्षेत्रों और चोरल नदी के किनारे छापामार कार्रवाई की। इस दौरान करीब 6 लाख 77 हजार रुपये कीमत की अवैध शराब और महुआ लहान जब्त किया गया। माफियाओं ने पकड़े जाने के डर से सामग्री को घने जंगलों और गुफाओं में छिपा रखा था।

सहायक आयुक्त आबकारी के निर्देश पर शनिवार को बड़वाह सनावद, कसरावद और महेश्वर की संयुक्त टीम गठित की गई थी। प्रभारी अधिकारी आबकारी नियंत्रण कक्ष के मार्गदर्शन में टीम ने पातलीमालगुफा फाल्या और चिड़िया भड़क के वन क्षेत्र में सघन तलाशी ली। तलाशी के दौरान चोरल नदी के किनारे अवैध हाथ भट्टी मदिरा निर्माण के अड्डे संचालित होते पाए गए।6400 1कलाग्राम महआ लहान, टीम ने मौके से 6400 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया। इसके नमुने लेने के बाद शेष लहान को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। तलाशी के दौरान 45 लीटर हाथ भट्ठी मदिरा भी बरामद की गई। ईस संबंध में आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, च के तहत कुल 06 मामले दर्ज किए गए हैं, आबकारी उपनिरीक्षक शिवम चौरसिया ने बताया कि अवैध मदिरा के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्र और जंगलों में छिपे शराब ठिकानों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस सफल कार्रवाई को प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनीष राठौर और वृत्त प्रभारी शिवम चौरसिया के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। टीम में उपनिरीक्षक ओमप्रकाश मालवीय, देवराज नगीना सहित आरक्षक प्रजोत चौधरी, गोविंद सेल्टिया, शिवना रायण कटारे, संतोष वर्मा, दिलीप मालवीय, अमन सिंह, नवनीत पाल, प्रमिला चौहान और शीतल कारोले का विशेष योगदान रहा।

सब्जी मंडी क्षेत्र में नाले से हटाया अस्थायी अतिक्रमण, फल ठेलों को किया शिफ्ट

खरगोन, निप्र। शहर में बारिश पूर्व चल रहे नाला- नाली सफाई अभियान के दौरान यातायात में बाधा बन रहे अतिक्रमण को भी सख्ती से हटाया जा रहा है। शनिवार को नगर पालिका अमले ने एसडीएम के नेतृत्व में सब्जी मंडी में कार्रवाई की।

नगर पालिका, यातायात और के संयुक्त अमले ने सब्जी मंडी से लेकर पोस्ट ऑफिस चौराहे के बीच लगने वाले फल ठेलों को सड़क से हटाकर सब्जी मंडी में लगाने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई का विरोध भी हुआ। एसडीएम वीरेंद्र कटारे ने बताया पिछले 15 दिन से मुनादी कराई जा रही थी कि फुटपाथ पर लगने वाले फल ठेले सब्जी मंडी में लगाए जाए, इसके लिए मंडी में व्यवस्था की गई है। एसडीएम ने बताया शहर में यातायात व्यवस्था सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे है। एमजी रोड़ से जहां फल ठेले शिफ्ट कराए है तो वहीं बावड़ी बस स्टॉप पर भी अतिक्रमण हटाकर आवागमन सुचारु करने का प्रयास किया जाएगा।

न्यायिक परिवार का अमृत कंठ अभियान : पक्षियों को पानी पिलाने राहगीरों को बांटे 200 सकोरे

खरगोन, निप्र। भीषण गर्मी में प्यास की वजह से किसी बेजुबान की जान न जाए, इसके लिए घर की छत- आंगन, पेड़ व छायादार स्थान पर सकोरा में दाना- पानी रखने की पहल न्यायिक परिवार ने की है। अमृत कंठ अभियान की शुरुआत करते हुए न्यायाधीशगण और अभिभाषक संघ ने शनिवार को राहगीरों के बीच 200 सकोरे बांटे। सुबह करीब 10.30 बजे न्यायालय परिसर के बाहर मुख्य मार्ग पर स्टॉल लगाया गया। अभियान के अंतर्गत न्यायाधीशों की ओर से 100 सकोरे और अभिभाषक संघ की ओर से भी 100 सकोरे बांटे गए। इस दौरान अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति एवं जिला न्यायाधीश राजकुमार यादव, जिला न्यायाधीश मुकेश नाथ, कैलाश प्रसाद मरकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरीश शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण, अधिवक्तागण एवं

न्यायिक कर्मचारी हेमंत अलीवाल, प्रतीक भावसार, सदाशिव करोले सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। अभिभाषक संघ अध्यक्ष पवन बिल्लौरे कहा कि यह पहल केवल सकोरों के वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में जीवों एवं प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाना है। उन्होंने लोगों से अपने घरों, कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करने का आह्वान किया। अभियान से जुड़े राकेश वर्मा ने बताया अभियान को व्यापक समर्थन मिल रहा है, जिसके तहत भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के लिए जल व्यवस्था की जा रही है। अभियान का उद्देश्य भीषण गर्मी में प्यास से व्याकुल मूक पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करना एवं समाज में जीवों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश देना है। अमृत कंठ अभियान की टीम सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों, न्यायालय परिसर एवं पार्कों में जाकर सकोरे रखेगी, ताकि अधिक से अधिक पक्षियों को राहत मिल सके।

शासकीय बालक क्रीड़ा परिसर में प्रवेश के लिए 15 जून तक कर सकेंगे आवेदन

खरगोन, निप्र। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित शासकीय बालक क्रीड़ा परिसर, खरगोन (मेनगांव) में सत्र 2026-27 के लिए अनुसूचित जनजाति संवर्ग के खिलाड़ी छात्रों के चयन के लिए रिक्त सीटों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों को खेलों के माध्यम से बेहतर अवसर प्रदान करना एवं उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इच्छुक अनुसूचित जनजाति के छात्र निर्धारित आवेदन फार्म अपने संबंधित विकासखण्ड के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा शासकीय बालक क्रीड़ा परिसर, मेनगांव, खरगोन से कार्यालयीन समय में अधीक्षक से प्राप्त कर सकते हैं।

जानकारी अनुसार आवेदन पत्र भरकर 11 से 15 जून के मध्य कार्यालयीन समय में अधीक्षक, शासकीय बालक क्रीड़ा परिसर, मेनगांव, खरगोन में जमा कराए जा सकेंगे। क्रीड़ा परिसर में प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया 19 जून से 28 जून 2026 के मध्य आयोजित की जाएगी। चयन शारीरिक परीक्षण एवं निर्धारित बैटरी टेस्ट (टैलेंट सर्च) के आधार पर किया जाएगा। चयनित छात्रों को परिसर में आवासीय सुविधा के साथ जिमनास्टिक, बेसबॉल एवं एथले टिक्स खेल विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

बैटरी टेस्ट के अंतर्गत मिनी वर्ग के छात्रों के लिए 100 मीटर दौड़ तथा जूनियर एवं सीनियर वर्ग के छात्रों के लिए 800 मीटर दौड़ आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त उछाल परीक्षण, रीच बेंड परीक्षण, गोला फेंक, सीट-अप परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक क्षमता एवं प्राप्त अंकों की वरिष्ठता के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। प्रवेश के लिए छात्र का अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना अनिवार्य है तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। चयनित छात्रों को अध्ययन के लिए क्रीड़ा परिसर के समीप स्थित विद्यालय मेनगांव में प्रवेश लेना अनिवार्य रहेगा। प्रवेश प्रक्रिया में क्षेत्र, संभाग अथवा जिले का कोई बंधन नहीं रखा गया है। मिनी वर्ग के लिए 11 से 14 वर्ष, जूनियर वर्ग के लिए 14 से 16 वर्ष तथा सीनियर वर्ग के लिए 16 से 18 वर्ष निर्धारित की गई है। किसी भी स्थिति में छात्र की आयु 11 वर्ष से कम अथवा 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ पिछली कक्षा की प्रमाणित अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, प्रोफाइल पंजीयन, आधार कार्ड, समग्र आईडी, मान्य चिकित्सक द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।

नेशनल लोक अदालत में समझौते की गूंज, 86 मामलों का हुआ निराकरण

भीकनगांव, निप्र। सिविल न्यायालय भीकनगांव में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति और समझौते के जरिए बड़ी संख्या में प्रकरणों का निराकरण किया गया। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के निर्देशन में आयोजित लोक अदालत का शुभारंभ न्यायाधीश सूरजसिंह राठौड़ ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण-दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

लोक अदालत में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निर्भय कुमार गरवा, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड राजेन्द्र बर्मन, अभिभाषक संघ अध्यक्ष निर्मल कुमार जैन, सचिव मनीष गंगराडे, अधिवक्ता, पैरालीगल वालंटियर्स, बैंक, दूरसंचार विभाग, विद्युत मंडल, नगरपालिका एवं न्यायालयीन कर्मचारी मौजूद रहे। लोक अदालत के दौरान सूरजसिंह राठौड़ के न्यायालय में सिविल एवं आपराधिक कुल 29 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें सिविल वसूली प्रकरणों में 19 लाख 31 हजार 850 रुपये की राशि वसूल की गई, जबकि क्लेम प्रकरणों में 31 लाख 5 हजार रुपये का अवार्ड पारित किया गया। इसके अलावा विद्युत प्रकरणों में 5 लाख रुपये की वसूली भी हुई। वहीं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निर्भय कुमार गरवा के न्यायालय में 27 प्रकरणों का निराकरण कर लगभग 7 लाख रुपये की वसूली की गई।

कसरावद में लोगों ने लोक अदालत में छूट का लिया फायदा, उमड़ी भारी भीड़

कसरावद, निप्र। कसरावद तहसील न्यायालय में वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मई को किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ न्यायाधीश इतिशा संघवी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी हरे सिंह पाण्डर, अधिवक्ता नवीन जोशी, अश्विन जोशी, सचिन बाथम, अक्षय राठौर बृजेश व्यास, खंडपीठ सदस्य एवं पैरालीगल वॉलिंटियर आकिल खान, पैरालीगल वॉलिंटियर देवदत्त एक्कल, जगदीश वर्मा, सुधीर सराफ, बैंक एवं नगर पालिका विभाग के अधिकारी, न्यायालय स्टाफ तथा बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित दीवानी, आपराधिक, चेक बाउंस (धारा 138), मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण, भरण-पोषण एवं राजस्व संबंधी राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण किया गया। इसके अलावा प्री-लिटिगेशन मामलों में बैंक रिकवरी, नगर पालिका के जलकर एवं संपत्ति कर से संबंधित प्रकरणों का भी आपसी सहमति से निराकरण किया गया। विशेष छूट प्रदान कर लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया।

खरगोन में नेशनल लोक अदालत में 361 केस निपटे

खरगोन, निप्र। वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत शनिवार को आयोजित की गई। जिला मुख्यालय पर 8 खंडपीठों पर न्यायालयीन समझौता योग्य 361 लंबित प्रकरणों के साथ ही प्रीलिटिगेशन के करीब 8000 प्रकरण रखे गए थे।

षष्ठम जिला न्यायालय में लोक अदालत के दौरान मोटर दुर्घटना मामले में 1 करोड़ रुपये से अधिक के क्लेम सेटलमेंट किया गया, जो नेशनल लोक अदालत में ऐतिहासिक समझौता माना जा रहा है। एडव्होकेट राजेंद्र पाठक ने बताया कि वर्ष 2024 में प्रापर्टी ब्रोकर एवं कपड़ा व्यवसायी इरफान खत्री की इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की पत्नि सफीना ने वाहन मालिक, चालक और बीमा कंपनी पर 3 करोड़ 53 लाख रुपए क्लेम का प्रकरण लगाया था। इस क्लेम का आंकलन स्व. खत्री के इनकम टैक्स रिर्टन के आधार पर आंकलित था। प्रकरण में शनिवार को बीमा कंपनी और मृतक की पत्नि के आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराया है। यह राशि तत्काल पीड़ित को मिलेगी, इस मामले में अब अपील नही की जा सकती। जिला सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव ने बताया कि लोक अदालत सरल एवं सुलभ न्याय दिलाने का माध्यम है। अगर लंबित मामला लोक अदालत में सुलझता है, तो कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। इससे न्यायालय पर प्रकरणों का बोझ भी कम होता है।

एक नजर में संघ सदस्य और किसानों ने कहा- तबादले के बाद भी सचिव से नहीं छूट रही कुर्सी, दो-दो नोटिस के बावजूद जमे हैं

भाकिसं की बैठक में छाया सचिव के 'कुर्सी से मोह' का मामला

नवभारत न्यूज

भीकनगांव, निप्र। भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें किसानों की समस्याओं सहित कृषि उपज मंडी की गतिविधियों पर चर्चा हुई। खासकर तबादले के बाद सचिव का न जाना बैठक में छाया रहा।

किसानों ने साफ शब्दों में कहा- फरवरी में तबादला होने और दो-दो कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद भी मंडी सचिव कुर्सी छोडने को तैयार नहीं हैं। किसानों ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा कौन.सा मोह है, जो सचिव को मंडी से दूर नहीं होने दे रहा। दूसरी ओर बिंजलवाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना की सुस्त चाल ने भी किसानों का गुस्सा भडका दिया। किसानों ने एसडीएम लोकेन्द्र छापरे को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन सडक़ों पर दिखाई देगा। भारतीय किसान संघ ने बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा मंडी सचिव के तबादले का उठाया। किसानों ने आरोप लगाया कि फरवरी माह में सचिव का स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन दो महीने बाद भी वे मंडी छोडने को तैयार नहीं हैं। इतना ही नहीं, मार्च और अप्रैल में दो बार कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद हालात जस के तस बने हैं। किसानों ने कहा ऐसा प्रतीत होता है मानो मंडी सचिव का कुर्सी से मोह खत्म ही नहीं हो रहा। प्रशासनिक आदेशों की

खुलेआम अनदेखी हो रही है, लेकिन कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं दे रही। बैठक में मौजूद किसानों ने यहां तक कह दिया कि यदि एक सामान्य किसान शासन के आदेश की अवहेलना करे तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अधिकारी पर नियम क्यों लागू नहीं हो रहे।

किसान बोले फसल बेचने आए या टैक्स भरने:- किसानों ने मंडी गेट पर कर्मचारियों द्वारा कथित अवैध वसूली का मुद्दा भी उठाया। आरोप लगाया कि किसानों से खुलेआम 5 से 10 रुपए तक लिए जा रहे हैं। किसानों ने कहा दिनभर खेतों में मेहनत करने वाला अन्नदाता जब अपनी उपज बेचने मंडी पहुंचता है, तो यहां उसे सुविधा नहीं बल्कि वसूली व्यवस्था से जुझना पड़ता है। किसानों ने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। नि:शुल्क भोजन योजना भी सवालों में बैठक में कृषक भोजनालय की दुर्दशा को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की गई। किसान संघ ने आरोप लगाया मंडी परिसर में बना कृषक भोजनालय केवल नाम का रह गया है। भवन धूल खा रहा है और सुविधाएं बदहाल हैं। सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया कि नि:शुल्क भोजन योजना के नाम पर किसानों से पांच रुपए तक वसूले जा रहे हैं।

कार्रवाई करेंगे:- भारतीय किसान संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में उठाए गए सभी मुद्दों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। प्रत्येक विषय पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिजलवाड़ा परियोजना में कार्य में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मशीनरी बढ़ाई जा रही है। कृषि उपज मंडी में व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए नवीन टेंडर प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। ट्रांसफ को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कर कार्रवाई करेंगे।